न्यायालय–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, पूर्णियॉ

सत्रवाद संख्या 13/2018
सी0आई0एस संख्या 13/2018
सरकार बनाम विलाश महतो एवं अन्य

टीकापट्टी थाना काण्ड संख्या 62/2011 से जनित, अंतगर्त धारा 341, 323, 504, 307, 379, 34 भा0द0वि0।
के प्रकरण में:–

राज्य

(द्वारा– आशा देवी, पति – अमर कुमार महतो, साकिन– बैरिया, थाना– टीकापट्टी, जिला–पूर्णियॉ)

..... अभियोजन

बनाम

1. विलाश महतो, पिता– स्व0 हरी महतो ,उम्र लगभग 70 वर्ष,
2. मंटू महतो, पिता– विलाश महतो, उम्र लगभग 38 वर्ष।
दोनों साकिन– बैरिया, बिनटोली, थाना– टीकापट्टी, जिला–पूर्णियॉ।

..... अभियुक्तगण

अभियोजन की ओर से :– विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल राजा, अपर लोक अभियोजक।
बचाव पक्ष की ओर से :– विद्वान अधिवक्ता श्री मुकुन्द शर्मा ।

अपराध कारित किए जाने की तिथी :–	16.11.2011
प्राथमिकी की तिथी :–	16.11.2011
आरोप पत्र की तिथी :–	30.11.2011
संज्ञान की तिथी :–	07.11.2012
दौरा सुपुर्दगी की तिथि:–	20.12.2017
आरोप गठन की तिथी :–	27.03.2018
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथी :–	05.05.2018
बयान अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. :–	16.07.2026
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तिथी :–	31.07.2026
निर्णय की तिथी :–	31.07.2026

सजा की तिथी, यदि कोई हो तो :– शून्य (अभियुक्तों को रिहा किया गया)

निर्णय की तिथी :– 31.07.2026

उपस्थित :– देशमुख,
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पूर्णियॉ।

निर्णय

1. उपरोक्त उल्लिखित अभियुक्तगण 1. विलाश महतो, 2. मंटू महतो को धारा 341, 307, 504 भा0द0वि0. के आरोपो हेतु आरोपित किया गया है जिनके वाद का विचारण प्रस्तुत निर्णय में निम्नवत किया गया है।

2. सूचक आशा देवी के द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16.11.2011 को समय करीब 09 बजे दिन में जब सुचिका अपने आंगन में खाना खा रही थी उसी समय उनका भैसूर विलाश महतो उनके साथ गाली–गलौज करने लगा। जब सूचीका गाली देने से मना की तो उसे लप्पर–थप्पर से मारना

पीटना शुरू कर दिया। सूचीका को बचाने जब उनका जाउत जुल्मी महतो आया तो उसके साथ भी गाली–गलौच करने लगा तथा लाठी – डंडा से मारना पीटना शरू कर दिया। झगड़ा का आवाज सुनकर मंटू महतो, रतन महतो दोनों लाठी फरसा लेकर आये और गाली – गलौज करते हुए मार पीट करना शुरू कर दिया उसी कम्र में विलाश महतो ने अपने लड़का के हाथ से फरसा लेकर जान मारने के नियत से फरसा चला दिया जिससे सूचीका का जाउत जुल्मी महतो का सर फट गया और सूचीका भी जख्मी हो गई। झगड़ा का आवाज सुनकर आस पास के लोग आये और बीच बचाव कर झगड़ा को शांत किया। इसी बीच रतन महतो ने सूचीका के गले से पॉच भर का चांदी का चैन छिन लिया। झगड़ा का कारण यह है कि सूचीका का छोटा लड़का ने अभियुक्त के कुत्ता को मारा था।

3. सूचीका आशा देवी के द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामित अभियुक्तगण 1. विलाश महता, 2. मंटू महतो, 3. रतन महतो के विरूद्ध दिनांक 16.11.2011 को **टीकापट्टी थाना काण्ड संख्या 62/2011** धारा 341, 323, 504, 307, 379, 34 भा0द0वि0. के अंतर्गत संस्थित किया गया तथा अनुसंधानोपरांत रतन कुमार को निर्दोष दिखाते हुए अनुसंधानकर्ता ने काण्ड के शेष प्राथमिकि अभियुक्तगण 1. विलाश महतो, 2. मंटू महतो के विरूद्ध वास्ते आरोप अंतर्गत धारा 341, 323, 307, 504, 379, 34 भा0द0वि0. हेतू **आरोप–पत्र सं0 72/2011** दिनांक 30.11.2011 को समर्पित किया गया तथा अनुसंधान करना बंद किया गया जिसके अनुक्रम में तत्समय वि0 न्यायालय द्वारा दिनांक 07.11.2012 के आदेश द्वारा, तद्नुसार, अभियुक्तगण 1. विलाश महतो, 2. मंटू महतो के विरूद्ध धारा 341, 323, 307, 504, 379, 34 भा0द0वि0. के अपराध हेतु **संज्ञान** लिया गया। तद्पोरांत प्रश्नगत वाद को अग्रतर कार्रवाई हेतु नियत किया गया।

आदेश दिनांक 20.12.2012 के द्वारा अभिलेख को **दौरा सुपूर्द** किया गया।

4. दिनांक 27.03.2018 को, तद्नुसार, उपरोक्त उल्लिखित अभियुक्तगण 1. विलाश महतो, 2. मंटू महतो के विरूद्ध धारा 307, 341, 504, भा0द0वि0. के अंतर्गत औपचारिक रूप से **आरोप का गठन** किया गया था तथा आरोपो को हिन्दी में पढकर सुनाया व समझाया गया जिसे सुनकर अभियुक्तगण दोष से इंकार करते हैं तथा विचारण का दावा करते हैं।

5. अभियुक्तों का **बयान** धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत दिनांक **16.07.2026** को अभिलिखित किया गया जिसमें अभियुक्तों ने अभियोजन के आरोप से इंकार करते हुए स्वयं को निर्दोष कहा है तथा पुलिस द्वारा गलत ढ़ंग से केस में फंसाये जाने की बात कही गयी है।

6. न्यायालय के समक्ष **विचारणीय प्रश्न** यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध लाये गये आरोपों को अभियोजन द्वारा युक्ति–युक्त संदेहों से परे रहकर सिद्ध करने में सफल रहा है ?

मन्तव्य

7. विचारण के क्रम में **अभियोजन की ओर से** अपने समर्थन में दो (2) साक्षी, अभियोजन साक्षी संख्या– 1. आशा देवी (स्वंय सूचीका), अभियोजन साक्षी संख्या– 2. डॉ केशरी प्रसार चौधरी (डॉक्टर) का साक्ष्य कराया गया है।

अभियोजन के द्वारा निम्न प्रदर्श को अंकित कराया गया।

प्रदर्श संख्या	विवरण
प्रदर्श–1	आवेदन पर सूचीका के पति का हस्ताक्षर जो औपचारिक प्राथमिकि का आधार है ।
प्रदर्श–P.2/P.W.2	आशा देवी का जख्म प्रतिवेदन।
प्रदर्श–P.3/P.W.2	गुलमी महतो उर्फ जुल्मी महतो का जख्म प्रतिवेदन।

साक्षियों के उपस्थिति हेतू दि0 07.04.2018 को सम्मन, पुनः दि0 05.06.2023 को सम्मन, दि0 07.11.2025 को जमानतीय अधिपत्र, दि0 26.05.2026 को एस.पी पूर्णियॉ, डी.एम. पूर्णियॉ तथा अपर लोक अभियोजक को नोटीस निर्गत किया गया तथा दि0 06.07.2026 को अभियोजन को अभिलेख अवलोकित कराया गया। पर्याप्त अवसर के बाद तथा अभियोजन के अनुरोधानुसार साक्ष्य की उपस्थिति हेतु सभी प्रकियांए पूरी करने के बाद भी अभियोजन द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया न ही अन्य कोई प्रार्थना की गई जिसके फलस्वरूप अंततः अभियोजन साक्ष्य **दिनांक 06.07.2026** को बंद किया गया तथा अभियुक्तों का बयान **दिनांक 16.07.2026** को दर्ज किया गया।

बचावपक्ष की ओर से पर्याप्त अवसर के वाद भी, न तो कोई मौखिक साक्ष्य न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

साक्षियों के अभिसाक्ष्य का संकलन

8. अभियोजन साक्षी संख्या– 1 आशा देवी (स्वंय सूचीका) ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि घटन 07 साल पहले की आठ बजे सुबह की है जब वह आंगन में खाना बना रही थी और किसी ने बाहर से पत्थर का टुकड़ा फेंका जो उसके शरीर पर लगा और उसने हल्ला किया जिसपर पास खड़े विलाश महतो, मंटू महतो, रतन महतो आकर लाठी से उसे मारपीट करने लगे जिससे उसे बांए हाथ के कानी उॅगली में चोट लगा और उंगली लटक गयी। पूरे शरीर पर मारपीट लगा। अभियुक्तगण उसके भैंसूर तथा भैंसूर के लड़के है। वह पहले थाना गयी जहां से रूपौली अस्पताल गयी और फिर सदर अस्पताल जाकर अपना इलाज करवायी। सभी अभियुक्तगण को पहचानने का दावा करती है। जब उसका जाउत जुल्मी महतो उसे बचाने आया था तो विलाश महतो ने उसे भी फरसा से सर पर मारा था । उसने आवेदन लिखवाकर थाने में दिया था जिसपर उसके पति का हस्ताक्षर और उसके अंगूठे का निशान है। पहचान पर हस्ताक्षर को प्रदर्श – 1 अंकित कराया जाता है।

बचावपक्ष के ओर से इन्होंनें अपने प्रतिपरीक्षण में बताया हैं कि अभियुक्तगण उसके भैंसूर और भैंसूर के लड़के है तथा उभय पक्षों में राजी–खुशी से सुलह हो गया है। किसने पत्थर फेंका था यह नहीं बता सकती है। न्यायालय में उपस्थित विलाश महतो ने ही

जुल्मी महतो को फरसा से मारा था। सफाई पक्ष के द्वारा दिये गये सुझाव से इंकार करते हुए साक्षी ने कहा कि उसने झूठा मुकदमा नहीं किया है।

9. **अभियोजन साक्षी संख्या– 2** डॉ केशरी प्रसाद चौधरी **(डॉक्टर) ने अपने मुख्य परीक्षण में** बताया है कि On 16-11-2011, he was posted at Referral Hospital Rupouli, Purnea as Medical Officer and on the same day, he examined Aasha Devi, aged about 40 years, W/o- Amar Kumar Mahto, R/o Vill- Bairia ,Bind Tola, P.S-Tikkapatti, Dist-Purnea, at about 01:15 PM and found the following injuries on her person:-

(i)Lacerated wound 1/2" X 1/6" X Muscle Deep over the little finger of the left hand.

(ii)Swelling with tenderness 2" X 3/4" X 2½" over the left wrist joint and the adjoining parts of the hand.

Age of Injury- Within six hour.

Injury caused by hard and blunt substance.

MI- An old scar mark over the right knee joint, (ii) An old scar mark over the left knee joint.

Nature of injury - Injury no. 1 Simple, regarding injury no. 2 opinion reserved till the out come of opinion of treatment and / or X-ray of the relevant part.

This injury report was prepared by him and bears his signature, Upon identification the same was exhibited as Ext.-P.2/P.W.2

On the same day he also examined Gulmi Mahto, aged about 45 years, S/o- Late Parshuram Mahto , R/o Vill- Bairia, Bind Toli , P.S- Tikapatti, Dist- Purnea, at 01:10 PM. Found following injuries on his person:-

(i) Lacerated wound 1/2" X 1/4" X Scalp Deep over the frontal region of the head.

(ii) Swelling with tenderness 4-3/4 X 2-1/2" over the upper part of the right leg.

(iii) Complain of body ache.

Age of Injury- Within six hour.

Injury caused by hard and blunt substance.

MI- Future scar mark of the injury no.1.

Nature of injury - Simple.

This injury report was prepared by him and bears his signature, Upon identification the same was exhibited as Ext.-P.3/P.W.2

बचावपक्ष के ओर से इन्होंनें अपने प्रतिपरीक्षण में बतायें हैं कि Such type of injury could be caused due to falling on the ground. It was denied that in connivance with the informant wrong injury report was prepared.

10. <u>उभयपक्षों का बहस</u>

विद्वान अपर **लोक अभियोजक** का कथन है कि अभियुक्तों द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति की है और बचावपक्ष ने अपनी सफाई में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी दशा में अभियुक्तों का दोषसिद्धि कर उन्हें सजा दिलाना न्यायोचित होगा।

दूसरी तरफ **सफाईपक्ष** के विद्धान अधिवक्ता समर्पित करते हैं कि अभियोजन द्वारा परीक्षित किसी साक्षी ने अभियोजन के कथानक का समर्थन नहीं किया है और न ही अभियोजन द्वारा किसी भी प्रत्यक्षदर्शी स्वतंत्र साक्षी का साक्ष्य कराया गया है जिसने अभियोजन के कथांनक का पूर्ण समर्थन किया हो। अभियोजन स्वयं के द्वारा परीक्षित किसी साक्ष्य ने अभियोजन के कथानक (जो केवल संदेह के आधार पर तथा आक्रोश में तैयार किया गया प्रतित होता है) का समर्थन नहीं किया है। चूंकि घटना का मुलभूत आधार ही स्थापित नही था अतः बचावपक्ष के ओर से कोई सफाई साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में विधिक **साक्ष्य के अभाव में** विचारणाधीन अभियुक्तों को रिहा किया जाय।

11. <u>विवेचना, निष्कर्ष तथा उसका कारण</u>

सुना एवं अभिलेख का परिशीलन किया। उपरोक्त परिस्थितियों में सफाईपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को से सहमत होने के लिए न्यायालय बाध्य प्रतीत होता है। कथित आरोप का स्वीकृत तौर पर कोई ऐसा स्वतंत्र साक्षी/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी परीक्षित नही कराया गया है जिसने अभियोजन के सम्पूर्ण कथानक का समर्थन किया हो। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय के समक्ष उपलब्ध साक्ष्यो की ही विवेचना सम्भव है जो निम्नवत हो सकती है तथा उनपर विश्वास करते हुए यह माना जा सकता है किः–

अभियोजन साक्षी संख्या 1 जो स्वंय सूचीका है ने किसी प्रकार के गाली–गलौज की बात ही नहीं की है एवं सामान्य तरीके से मारपीट व चोट की बात कही है जिसके समर्थन में अन्य कोई अभियोजन साक्षी नहीं है। स्वंय सूचीका ने कंडिका 10 में यह कहा है कि उभय पक्षो में राजी–खुशी से सुलह हो गया है । संभवतः इसी कारण से अभियोजन के ओर से अन्य कोई साक्षी समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया गया है। परंतु कंडिका 7 व 12 में बताये गये मार की प्रकृति का समर्थन जख्म प्रतिवेदन (पी.3/पीडब्लू.2) से नहीं हो पाता है। यहां तक की अभियोजन साक्षी संख्या 2 जो चिकित्सक है, के द्वारा कंडिका 5 में यह कहा गया कि इस प्रकार का चोट गिरने से भी हो सकता है। अतः किसी भी प्रकार के मारपीट किये जाने की संबंध में प्रयाप्त विधिक साक्ष्य की उपलब्धता नहीं प्रतीत होता है।

बिना किसी युक्ति युक्त कारण के, पर्याप्त अवसर के वावजूद, अभियोजन द्वारा आरोप पत्र में नामित अन्य साक्षियों का साक्ष्य नहीं कराया गया है।

किसी कथित अनुसंधान पदाधिकारी का भी साक्ष्य नहीं कराया गया हैं ।

12. इस प्रकार संपूर्ण अभियोजन वाद विधिक साक्ष्य के अभाव में, सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे, सिद्ध होने में असफल रहा है। अतः न्युनतम रूप से अभियुक्तों को संदेह का लाभ दिया

जाना न्यायोचित होगा।

13. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर न्यायालय पाती है कि अभियोजन पक्ष उपरोक्त उल्लिखित अभियुक्तगण 1. विलाश महतो, 2. मंटू महतो को धारा 341, 307, 504 भा0द0वि0. के कथित अपराध को युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित कर पाने में पूर्णतया असफल रहा है।

आदेश

अतः ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त उल्लिखित अभियुक्तगण 1. विलाश महतो, 2. मंटू महतो को धारा 341, 307, 504 भा0द0वि0. के आरोप से, पर्याप्त विधिक साक्ष्य के अभाव में, दोषी नहीं पाते हुए, संदेह का लाभ देते हुए, दोषमुक्त किया गया है और तद्नुसार उन्हें रिहा करने का आदेश दिया जाता है। अभियुक्तगण 1. विलाश महतो, 2. मंटू महतो चूंकि जमानत पर है, अतः उन्हें उनके बंधपत्रों के दायित्वों से भी उन्मोचित किया जाता है।

14. प्रतिकर के बिंदु पर अभियोजन की ओर से या सूचीका के पक्ष से कोई तथ्य नहीं रखा गया ना ही कोई सुनवाई की गई एवं स्वंय सूचीका के द्वारा भी अभियोजन के कथानक का पूर्ण समर्थन नहीं किया गया । इन परिस्थितियों में प्रतिकर के बिंदु पर अग्रतर विवेचना आवश्यक नहीं प्रतीत होती है।

15. कार्यालय निर्णय की एक प्रति जिला दंडाधिकारी, पूर्णियॉ को द.प्र.सं. की धारा 365 के अनुपालन के अंतर्गत प्रेषित करें।

16. कार्यालय समयोपरांत वाद के अभिलेख को अभिलेखागार में प्रेषित करें।

शुद्धित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित।

ह0/–
(देशमुख)
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पूर्णियॉ,
दिनांक 31.07.2026

शुद्धित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित।

ह0/–
(देशमुख)
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पूर्णियॉ,
दिनांक 31.07.2026

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, पूर्णियॉ।
सरकार बनाम विलाश महतो एवं अन्य

P.O- Deshmukh, DASJ II[nd], Purnea. सत्रवाद संख्या 13/2018
निर्णय की तिथी :– 31.07.2026 सी0आई0एस संख्या 13/2018
टीकापट्टी थाना काण्ड संख्या 62/2011 से जनित

Appendix/सूची

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षियों की सूची :–
क. अभियोजन साक्षी

पद	नाम	साक्षियो की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य, पुलिस साक्ष्य,विशेषज्ञ साक्ष्य, मेडिकल साक्ष्य, पंच साक्ष्य,अन्य साक्ष्य)
अभियोजन साक्षी सं0 1	आशा देवी	सूचीका
अभियोजन साक्षी सं0 2	डॉ केशरी प्रसाद चौधरी	चिकित्सीय साक्ष्य

ख. बचाव पक्ष–शून्य
ग. न्यायालय साक्ष्य–शून्य

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय प्रदर्शो की सूची :–
क. अभियोजन प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श–P.1	आवेदन पर सूचीका के पति का हस्ताक्षर जो औपचारिक प्राथमिकि का आधार है ।
2.	प्रदर्श–P.2/P.W.2	आशा देवी का जख्म प्रतिवेदन।
3.	प्रदर्श–P.3/P.W.2	गुलमी महतो उर्फ जुल्मी महतो का जख्म प्रतिवेदन।

ख. बचाव पक्ष प्रदर्श–शून्य
ग. न्यायालय प्रदर्श–शून्य
घ. वस्तु प्रदर्श –शून्य

ह0/–
(देशमुख)
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पूर्णियॉ।
दिनांक 31.07.2026